(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली के उत्पादन में कमी

715. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के संचरण और वितरण में हानि

716. **श्री राम जेठमलानी**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बिजली के संचरण और वितरण में होने वाली हानि की मात्रा बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख)

(ख) हमारे देश में पारेषण एवं वितरण हानियां करीब 22% हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन हानियों में कमी लाने के लिए बिजली की यूटिलिटियों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इसमें अन्यों के साथ-साथ अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेदार प्रणाली घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा करना, वोल्टता अनुप्रस्थ में सुधार लाने के लिए कैपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं तैयार करना, ऊर्जा चोरी रोकने के लिए "टेम्परप्रूफ" मीटर बक्से की प्रतिष्ठापना करना एवं ऊर्जा चोरी के मामले का पता लगाने हेतु सतर्कता दल की स्थापना करना शामिल है। ऊर्जा चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। यह योजना 1987 से प्रभावी है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बिजली की यूटिलिटियों ने सतर्कता दलों का गठन किया है तथा अपने पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाने तथा सुधार लाने के लिए प्रणाली सुधार योजनाएं बना रही हैं। वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान ऊर्जा की चोरी के आरोप में 19898 व्यक्तियों को अभियोजित एवं जुर्माने तथा कैद अथवा दोनों के रूप में दण्डित

किया गया। ऊर्जा चोरी के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान 2023 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया। 29 प्रमुख नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार की गई एवं ये स्कीमें स्वीकृति, क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों मे हैं।

शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश स्थित गैस एजेंसी द्वारा की गई अनियमितताएं

717. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश स्थित गैस एजेंसी के विरुद्ध जनता और संसद सदस्य से गंभीर अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि अब तक कोई कार्यवाही नही की गई, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे कितने गैस कनेक्शन मजूर किए गए हैं जिन्हें इस एजेंसी द्वारा अब तक उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और इन कनेक्शनों को कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन को शिकोहाबाद स्थित अपने एल.पी.जी. वितरक के विरुद्ध डी.बी.सी. न देने/उपभोक्ता पुस्तिकाओं के लिए अधिक पैसे लेने/घर पर सुपुर्दगी न देने/अभद्रतापूर्ण सेवाएं देने और अनधिकृत उपभोक्ताओं को रिफिलों की डिलीवरी देने आदि के संबंध मे कुछ शिकायतें मिली हैं। उचित जांच के बाद कारपोरेशन द्वारा समय समय पर अनेक कार्रवाइयां की गई हैं जो संलग्न विवरण में बतायी गई हैं।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक की अवधि में वितरक को 350 एल पी जी कनेक्शन देने के लिए अधिकृत किया गया था जो उपभोक्ताओं को दिये जा चुके हैं।

विवरण

क्रम संख्या	महीना	प्राप्त शिकायतों की सं.	शिकायत का स्वरूप	की गई कार्रवाई
1.	अप्रैल, 1989	शून्य	—	—
2.	मई, 1989	1	डी.बी.सी. न देना	वितरक को चेतावनी दी गई और डी.बी.सी. दिया गया
3.	जून, 1989	1	उपभोक्ता पुस्तिका पर अधिक पैसा लेना	अधिक पैसे लेने के कारण वितरक को चेतावनी दी गई और उपभोक्ता को पैसे लौटाये गये।
4.	जुलाई, 1989	शून्य	—	—